संदर्भ शर्तें (टीओआर)

मुख्य सलाहकार – जेंडर और पीएनडीटी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उल्लिखित पद के लिए पूर्णतया अनुबंध के आधार पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

भूमिका और उत्तरदायित्व

- राज्य समकक्षों, राज्य सलाहकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों के सहयोग से सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप देश के कार्यक्रम और इसकी घटक परियोजनाओं के विनिर्माण और डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान देना। कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, प्राप्त की गयी सीखों, नव विकसित नीतियों और सर्वोत्तम कार्यनीतियों को शामिल करना और उचित निष्पादन और निगरानी तंत्र और प्रणालियों को स्थापित करना।
- बाल लिंग अनुपात में गिरावट, पीएनडीटी कानून और जेंडर के लिए प्रासंगिक राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, आर्थिक और प्रशासनिक परिवेश का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करना तथा उपायों हेतु अवसरों की पहचान करना। नीति संबंधी पत्रों, कार्यनीति दस्तावेजों, राष्ट्रीय योजनाओं और विकास अवसंरचना का विश्लेषण करने वाले नए नीतिगत विकास और कार्यनीतियों को साथ-साथ आगे बढ़ाना तथा नीति संवाद, तकनीकी सहायता समन्वय और विकास ढांचे के लिए संक्षिप्त सार और इनपुट तैयार करना।
- कार्यान्वयन एजेंसियों, विशेषज्ञों, सरकारी समकक्षों और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करते हुए परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाना और समन्वय करना जिससे मिशन इनपुट का समय पर और प्रभावी वितरण हो।
- कार्यक्रमों, परियोजनाओं, कार्यनीतियों, दृष्टिकोणों और प्राप्त हो रहे अनुभवों, सर्वोत्तम पद्धतियों का विश्लेषण करके वर्तमान और उभरते बाल लिंग अनुपात में गिरावट, पीएनडीटी कार्यान्वयन की प्रवृत्ति और जेंडर के मुद्दों के बारे में ज्ञान का सृजन और दस्तावेज करने में सहायता करना और फूटर्स कार्यनीतियों से योजना बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करना।
- संबंधित पक्षसमर्थन दस्तावेजों अर्थात परियोजना सारांश, भाषण तैयार करके मंत्रालय के पक्षसमर्थन प्रयासों में सहायता करना; प्रस्तुतियाँ आदि और भागीदारों की बैठकों और सार्वजनिक सूचना कार्यक्रमों में भाग लेना।

- राज्य और जिला स्तर पर पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में मंत्रालय के निगरानी प्रयासों में सहायता करना और पीएनडीटी कानून को लागू करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को सुविधा प्रदान करना।

कार्य और प्रयोजन

- राज्यों के लिंग अनुपात और समस्याओं का आकलन, पीएनडीटी रणनीतियों, गतिविधियों, बजट का मूल्यांकन/समीक्षा करना और राज्य पीआईपी में विषम लिंग अनुपात के मुद्दे के समाधान के लिए संचार उपकरणों का विकास करना और इसे मजबूत करने के लिए उचित कार्रवाई का सुझाव देना। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना कि संशोधित राज्य पीआईपी में सुझावों को संतोषजनक ढंग से शामिल किया गया है।
- मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधित परिचालन दिशानिर्देश में आशोधन करना (यदि आवश्यक हो)-क्षेत्र दौरों/निगरानी से मिले फीडबैक के आधार; सुनिश्चित करना कि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं और दिशानिर्देश कार्यशालाओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं।
- मंत्रालय में विभिन्न प्रभागों में चल रहे काम में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए प्रत्येक प्रभाग द्वारा की गई कार्रवाई को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करना।
- प्राप्त रिपोर्टों, वेब आधारित एचएमआईएस में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर प्रगति का आकलन करना।
- जिलों/उप जिलों का समय-समय पर दौरा, क्षेत्रीय दौरों की रिपोर्ट का विश्लेषण/राष्ट्रीय/राज्य निरीक्षण दौरों की कार्रवाई रिपोर्ट, नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाली सुविधाओं की क्षमता और कमजोरियों की पहचान करना और अनुवर्ती कार्रवाई और सुधार के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण सहित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर।
- देश में घटते लिंगानुपात से संबंधित सभी उभरते मुद्दों पर प्रस्ताव तैयार करना।
- आशाकर्मियों, एएनएम और चिकित्सा अधिकारियों आदि जैसे प्रशिक्षण प्रमुख संवर्गों में लिंग संबंधी मुद्दों (पीसीपीएनडीटी और लिंग चयन सहित) को शामिल करने और सेवा प्रदाताओं को लिंग प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रभाग के साथ सहयोग करना।
- कार्यशील एनएचएम पीआईएलपी और विषयगत क्षेत्रों में पीसीपीएनडीटी/लिंग चयन मुद्दों को शामिल करने के लिए निर्धारण संबंधी कार्रवाई।

- जनता, कानून लागू करने वालों/कार्यान्वयन एजेंसियों और चिकित्सा जगत तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और उन्हें पूरा करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) रणनीतियों में नवाचारों सहित तरीकों की पहचान करना।
- विशेष रूप से, विशिष्ट लक्ष्य समूहों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी एकीकरण के लिए अवसरों की पहचान करना।
- सेवा वितरण/गुणवत्ता में सुधार की दिशा में योजना और निगरानी प्रणालियों में निरंतर प्रक्रिया सुधार लाने के लिए सहायता/समर्थन।

योग्यता:

- लैंगिक मुद्दों के अच्छे तकनीकी ज्ञान के साथ महिला/जेंडर अध्ययनों या संबंधित सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।
- लिंग संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने में 10-15 वर्षों का अनुभव, जिसमें से राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ पद पर पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी में नीति स्तर पर 7 वर्षों का अनुभव।
- एनएचएम के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विशेष रूप से पीएनडीटी और लिंग चयन/एफपी/प्रजनन स्वास्थ्य (आरएच)/मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य (एमएनएच) में लिंग संबंधी मुद्दों का तकनीकी ज्ञान और क्षेत्रीय स्तर पर अनुभव।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, प्रमुख हितधारकों और प्रासंगिक सरकारी नीतियों/रणनीतियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य समितियों की जानकारी।
- मजबूत संख्या कौशल की अच्छी समझ और कार्यक्रम प्रबंधन, क्षमता निर्माण और पर्यवेक्षी सहायता का अनुभव।
- मजबूत पारस्परिक संबंध, संप्रेषण और टीम-कार्य कौशल।
- प्रासंगिक डेटा और दस्तावेजों को खोजने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट और वेब सर्फिंग जैसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पैकेजों के साथ उच्च स्तर की जानकारी वाली कंप्यूटर दक्षता।
- उत्कृष्ट संप्रेषण और प्रस्तुति कौशल, विश्लेषणात्मक और पारस्परिक क्षमताएं, अंग्रेजी में उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संप्रेषण कौशल। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान भी वांछनीय है।
- बहु-विषयक टीम वातावरण में काम करने की का क्षमता प्रदर्शन।

प्रमुख परिणाम संकेतक

- संबंधित प्राधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता का प्रशिक्षण
- क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास
- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन और सहायता
- कार्यक्रमों से संबंधित सभी संकेतकों की निगरानी और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट
- लिंग संबंधी कार्यक्रमों और विधानों के अभिसरण मॉडल पर नीति सार और रणनीतिक दस्तावेज
- सफलता की कहानियों का दस्तावेज़ीकरण और आगे बढ़ने के लिए रणनीति तैयार करना

आयु सीमा:
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है और व्यापक क्षेत्र का दौरा करने के लिए स्वस्थ्य होना चाहिए।

पारिश्रमिक सीमा:
रु. 1,30,000 से रु. 1,70,000/- प्रति माह (समेकित) के बीच

रिपोर्टिंग अधिकारी:
उपायुक्त (पीएनडीटी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

तैनाती का स्थान:
नई दिल्ली

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध आवेदन को ठीक से भरें। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि **19-Dec-2023** है।